भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail: cex15rti-ker@gov.in Phone: 0484-2390404

F No. GEXCOM/RTI/MISC/279/2023-ADT तारीख /Date: *as e-signed*

यापार सचना/TRADE NOTICE NO: 04/2025

Sub: Right to Information Act, 2005-Appointment of CPIO - Reg.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005-सीपीआईओ की नियुक्ति - के संबंध में।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that, the following Assistant Commissioners are designated as Central Public Information Officer (CPIO) of Central Tax & Central Excise for offices in Kochi Commissionerate for the purpose of receiving applications/ requests for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005 as shown at Annexure- II of Trade Notice No.02/2017- Central Excise and 03/2017 – Central Tax both dated 21.06.2017. The details are as follows.

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, निम्नलिखित सहायक आयुक्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना/दस्तावेजों के प्रकटीकरण हेतु आवेदन/अनुरोध प्राप्त करने हेतु कोच्चि आयुक्तालय स्थित कार्यालयों के लिए केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क का केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया जाता है, जैसा कि व्यापार सूचना संख्या 02/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 03/2017- केंद्रीय कर, दोनों दिनांक 21.06.2017 के अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है। विवरण इस प्रकार है।

Sl No	Name and Designation	Jurisdiction		Address of the CPIO
		Office	Area	
1	**Mr Joy Joseph, Assistant Commissioner** श्री जॉय जोसेफ, सहायक आयुक्त	Idukki Central Tax and Central Excise Division इडुक्की केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग	As mentioned in Annexure II of Trade Notice Nos.02/2017-Central Excise & 03/2017-Central Tax both dated 21/06/2017 जैसा कि अनुबंध II में	Office of the Assistant Commissioner of Central Tax and Central Excise,Idukki Division K P Varkey's Mall, Second Floor, Rotary Junction, Thodupuzha 685584 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त का

			उल्लिखित है व्यापार सूचना संख्या 02/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 03/2017- केंद्रीय कर, दोनों दिनांक 21/06/2017	कार्यालय, इडुक्की डिवीजन केपी वर्की मॉल, दूसरी मंजिल, रोटरी जंक्शन, थोडुपुझा 685584 Email: cgst.ti07@gov.in
2	**Mr C Santosh Kumar Menon, Assistant Commissioner** श्री सी संतोष कुमार मेनन**,** सहायक आयुक्त	Kakkanad Central Tax and Central Excise Division कक्कानाड केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग	As mentioned in Annexure II of Trade Notice Nos.02/2017-Central Excise & 03/2017-Central Tax both dated 21/06/2017 जैसा कि अनुबंध II में उल्लिखित है व्यापार सूचना संख्या 02/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 03/2017- केंद्रीय कर, दोनों दिनांक 21/06/2017	Office of the Assistant Commissioner of Central Tax and Central Excise,Kakkanad Division Central Excise Bhavan, Katrikadavu, Kaloor 682017 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त का कार्यालय, कक्कानाड डिवीजन केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, कत्रिकादावु, कलूर 682017 Email:cgst.ti05@gov.in

2. This Public notice is issued, for the purpose of notifying the appointment to the public.
   यह सार्वजनिक सूचना नियुक्ति की सूचना जनता को देने के उद्देश्य से जारी की गई है।
3. This is issued with the approval of Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate..
   यह आदेश आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by Farah Zachariah
Date: 12-09-2025 17:32:11

[Farah Zachariah/ फराह ज़कारिया**]**

Joint Commissioner/
संयुक्त आयुक्त

Copy to

The Officers concerned/
संबंधित अधिकारी

Copy for information to

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone
   केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Calicut & Trivandrum with a request that they may give wide publicity to this trade notice and may be sent to various Trade Associations & members of RAC etc. also
   आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कालीकट एवं त्रिवेन्द्रम से अनुरोध है कि वे इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार करें तथा इसे विभिन्न व्यापार संघों एवं आरएसी के सदस्यों आदि को भी भेजें।
3. The Commissioner of Customs, Customs Preventive Commissionerate, Cochin.
   सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन
4. The Commissioner (Appeals), Cochin.
   आयुक्त (अपील), कोचीन।
5. Commissioner(Audit), Cochin
   आयुक्त (लेखा परीक्षा), कोचीन
6. The Joint Commissioner and First Appellate Authority(RTI), Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
   संयुक्त आयुक्त एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय।
7. All Central Public Information Officer (CPIO) of Central Tax & Central Excise offices in Kochi Commissionerate
   कोच्चि आयुक्तालय में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के सभी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)
8. The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise Hqrs., Kochi – for uploading this trade notice on the department website.
   अधीक्षक (प्रणाली), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि - इस व्यापार सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. Notice Board./नोटिस बोर्ड.